फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

खेमसिंह पिता देवीसिंह रावत निवासी नया तालाब (गुड्डा), तहसील डूंगला वगैरा

बनाम

डालूदास पिता सुरतदास अडभोपा निवासी गुड्डा हाल झलकी कॉलोनी गंगरार वगैरा

प्रकरण संख्या 15/2016 (रा.प्रा.पत्र)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाने पर भी उभय पक्ष में से कोई भी उपस्थित नहीं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में दिनांक 27.12.2019 के पश्चात् से आदिनांक तक विपक्षी संख्या 2 से 5 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है जबकि इस हेतु उन्हें कई बार निर्देशित किया गया है तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रकरण में आज उपस्थित भी नहीं हुए हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण को नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी उनके द्वारा प्रकरण में लगभग 4 वर्ष 5 माह की लम्बी अवधि से विपक्षी संख्या 2 से 5 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किये हैं तथा आज प्रकरण में उपस्थित भी नहीं है, अर्थात् अधिवक्ता प्रार्थीगण अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	